चाइनीज मांझा उड़ाया तो 5 साल तक जेल

▶ **कलेक्टर का सख्त आदेश, दुकानदारों पर हो एफआईआर**

इंदौर. मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर में चाइनीज मांझे के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने पर कड़ी सजा दी जाएगी.

आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, दुकानदार, संस्था या आयोजनकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है, तो बीएनएस की धारा 106(1) के तहत पांच साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान रहेगा. कलेक्टर के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि चाइनीज मांझे की वजह से न केवल लोग घायल हो रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं. इसी को देखते हुए पतंगबाजी के प्रमुख आयोजकों को भी जिम्मेदारी के साथ आयोजन करने की चेतावनी दी गई है. इससे पहले भी 25 नवंबर को इसी तरह के आदेश जारी किए जा चुके हैं.

इधर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है. डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने कहा कि चाइनीज मांझा समाज के लिए खतरनाक है और इससे सख्ती से निपटा जा रहा है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं पुराना या अनजाने में रखा हुआ चाइनीज मांझे का गुच्छा भी हो, तो उसे तुरंत नष्ट कर दें.

कई दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज

पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. तेजाजी नगर, मल्हारगंज, एरोड्रम, चंदननगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों से चाइनीज मांझा जब्त किया है. कुछ स्थानों पर नाबालिगों को भी मांझे के साथ पकड़ा गया, जिनके परिजनों को सख्त चेतावनी दी गई है. पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही है.

चाइनीज मांझे से मौत अब लापरवाही नहीं, गैर-इरादतन हत्या मानी जाएगी

▶ **हाईकोर्ट की सख्ती : बैन के बाद भी घटनाएं चिंताजनक**

इंदौर. चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इस प्रतिबंधित मांझे की वजह से अगर किसी की जान जाती है, तो इसे साधारण हादसा नहीं माना जाएगा, बल्कि बीएनएस की धारा के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद लगातार घटनाएं सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर चिंता का विषय है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा बेचने या उसका इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर सीधे आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, यदि नाबालिग इस मांझे का उपयोग करते पाए जाते हैं, तो जिम्मेदारी उनके अभिभावकों की मानी जाएगी और उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा. कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों के दौरान चाइनीज मांझे से तीन लोगों की जान जा चुकी है. इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पक्षी भी इस खतरनाक डोर की चपेट में आकर मारे गए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और पतंगबाजी के दौरान ऐसे हादसों की आशंका और बढ़ जाती है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि संक्रांति को देखते हुए इंदौर सहित हाईकोर्ट की परिधि में आने वाले 14 जिलों से अब तक की गई कार्रवाई और तैयार की गई कार्ययोजना की रिपोर्ट तलब की जाए. कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है, इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा भी अदालत में मौजूद रहे.

लगातार जागरूकता अभियान चला रहे

कोर्ट को बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ साथ इसके दुष्परिणामों को लेकर लगातार जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है और हादसों से बचाव के लिए विशेष उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि गुरुवार 11 दिसंबर को इंदौर और आसपास के जिलों के लिए पहले ही सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं. महिला अधिवक्ता कविता उइके ने भी अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि चाइनीज डोर से उनका गला कट गया था और जान बचाने के लिए उन्होंने डोर हाथों से तोड़ी, जिससे उनकी हथेली गंभीर रूप से घायल हो गई. इस पर कोर्ट ने संवेदना जताते हुए शासन को और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए.

थाने के सामने बस ने महिला को कुचला, मौके पर मौत

▶ **राशन लेने निकली थी घर से, चालक बस छोड़कर फरार**

नव भारत न्यूज

इंदौर. राऊ इलाके में मंगलवार दोपहर थाने के ठीक सामने सड़क पार करना एक महिला के लिए जानलेवा साबित हो गया. तेज रफ्तार बस ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ी और मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर जमा लोगों ने बस को घेर लिया, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया.

थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि मृत महिला का नाम

विद्या पति भागीरथ पाटीदार हैं, जो राऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वह दोपहर के समय घर से राशन लेने कंट्रोल जा रही थी. जैसे ही वह थाने के सामने सड़क पार कर रही थी, उसी दौरान तेज गति से आ रही बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज जांच शुरु की. हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई थी, गुस्साए लोगों ने बस को रोक लिया था, इसी बीच मौके का फायदा उठाकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने बस जब्त कर ली है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चालक की पहचान की जा रही है.

पति और इकलौते बेटे की पहले ही हो चुकी है

परिजनों का कहना है कि विद्या पहले ही परिवार में हुए दो बड़े हादसों का दर्द झेल चुकी थी. उनके पति की करीब 12 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जबकि इकलौते बेटे राकेश का निधन कोरोना काल में हुआ था. परिवार में अब केवल बहू और 15 साल का पोता बचा है. मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है. घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में नियंत्रित कर लिया.

युवक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड

इंदौर. हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीटखेड़ी इलाके में 25 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान बंटी पिता पर्वत सिंह मेहरा के रूप में हुई है. देर रात परिजनों ने उसे फंदे पर झूलता देखा और तुरंत एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची हीरानगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है.

शहरभर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर एकसाथ सख्ती

▶ **अलग-अलग थानों की पुलिस ने बड़ी मात्रा में मांझा किया जब्त**

इंदौर. जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा और नायलॉन डोर के खिलाफ पुलिस ने एक ही दिन में बड़ी कार्रवाई की है. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान दुकानों, ठेलों और सार्वजनिक स्थानों से भारी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया गया. पुलिस ने 15 से अधिक प्रकरण दर्ज करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में लिया है. सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है.

तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में ग्राम असरावद खुर्द स्थित एक खुली दुकान से प्रतिबंधित चाइनीज डोर बेचते हुए अर्पित साहू और मनोज राठौर को पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार आरोपी यह जानते हुए मांझा बेच रहे थे. मल्हारगंज थाना क्षेत्र में दो अलग अलग प्रकरणों में दुकानों से चाइनीज मांझा बेचते हुए अमजद और संजय जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई. पुलिस ने मांझा जब्त कर केस दर्ज किया. एरोड्रम थाना क्षेत्र में पंचशील नगर के पास उत्सव मकवाना के कब्जे से तीन रोल चाइनीज मांझा बरामद किया. वहीं राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में प्रतीक सेतु ब्रिज के नीचे और धनवंतरी नगर की दुकानों से श्याम नगवाडिया और महेश शर्मा के पास से 11 चरखियां जब्त की.

सबसे ज्यादा केस लसूड़िया क्षेत्र में किए दर्ज

लसूड़िया थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्रवाई सामने आई. यहां अलग अलग मामलों में छह आरोपियों के कब्जे से 9 से लेकर 42 तक चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गईं. कुछ मामलों में आरोपियों ने स्वयं मांझा बेचने की बात स्वीकार की. बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के हाथ में पकड़े गए चाइनीज मांझे को मौके पर जांच कर जब्त किया. जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन इलाके से चार चकरी काले रंग की चाइनीज डोर जब्त की गई. वहीं रावजी बाजार थाना क्षेत्र में पुल के ऊपर सड़क से चार घिर्री चाइनीज मांझा पकड़ा गया. चंदन नगर थाना क्षेत्र में भी दो अलग-अलग मामलों में पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझा जब्त किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न सिर्फ मानव जीवन के लिए जानलेवा है, बल्कि पर्यावरण और पक्षियों के लिए भी बेहद खतरनाक है. आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस कमिश्नर ने दिए समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश

▶ **जनसुनवाई में पारिवारिक विवाद, लेन-देन और धोखाधड़ी का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने को कहा**

नव भारत न्यूज

इंदौर. मंगलवार को कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित जनसुनवाई में पुलिस कमिश्नर ने आमजन की हर शिकायत को गंभीरता से सुना और तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया. इस दौरान नागरिक अपनी व्यथा लेकर आए. अधिकतर शिकायतें आपसी व पारिवारिक विवाद, पैसों के लेन-देन और भूमि प्लॉट से जुड़ी धोखाधड़ी संबंधी थीं.

जनसुनवाई के दौरान 70 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें कुछ मामलों में महिला अपराध और फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतें भी शामिल थीं. पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक आवेदक की व्यथा व्यक्तिगत रूप से सुनी और मौके

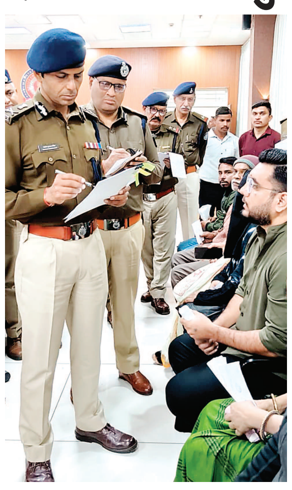

पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने आवेदकों को आश्वस्त किया कि इंदौर पुलिस उनकी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है. पुलिस द्वारा मध्यस्थता केंद्र और अन्य उपायों के माध्यम से भी विवादों के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं. कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निराकरण में देरी नहीं होगी और हर मामले में पूरी पारदर्शिता एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

कुछ मामलों का मौके पर ही निराकरण

इस अवसर पर अति पुलिस आयुक्त (अप./मुख्यालय) आरके सिंह और सभी जोन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. उन्होंने कमिश्नर के निर्देशानुसार आवेदकों से सीधे बात कर उनके मामले का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया. कई शिकायतों का तुरंत समाधान भी किया. जबकि अन्य मामलों में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए.

दहेज के लिए किया प्रताड़ित, पति समेत ससुराल पक्ष पर केस

इंदौर. महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है. फरियादिया की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ बीएनएस और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है. महिला थाने से मिली जानकारी के अनुसार फरियादिया पलक, निवासी बड़ी ग्वालटोली ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका विवाह नरेन्द्र निवासी ईदगाह रोड, लकड़ी पीठा, रतलाम से हुआ था. विवाह के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. फरियादिया का आरोप है कि दहेज को लेकर लगातार दबाव बनाया गया और प्रताड़ना दी गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति नरेन्द्र के साथ ही ससुर वासूदेव, सास मनोरमा और ननद स्नेहा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले की विवेचना की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल का सश्रम कारावास

इंदौर. नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले 20 वर्षीय देवा निवासी इंदौर को अदालत ने 20 साल का सश्रम कारावास और जुर्माना देने के साथ ही 3 साल की जेल और अर्थदंड भी सुनाया है. आरोपी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह मुजाल्दे ने की. मामले की पड़ताल में सामने आया कि पीड़िता 4 अक्टूबर 2023 को सहेली से मिलने गई थी और घर नहीं लौटी. परिवार ने थाना बड़गोंदा में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जांच में पता चला कि आरोपी देवा ने पीड़िता को बहला फुसलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)एन भादंवि और पोक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में मामला दर्ज कर मामला कोर्ट में दिया था. मेडिकल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया. सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूत और पीड़िता के बयान का अध्ययन कर आरोपी को कड़ी सजा सुनाई. उक्त मामले में पैरवी महेन्द्र सिंह मुजाल्दे, एडीपीओ, डॉ. अम्बेडकर नगर ने की.

अवैध भांग के साथ एक धराया

इंदौर. भंवरकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वृद्ध को भांग के साथ गिरफ्तार किया है. भंवरकुआं पुलिस के अनुसार कल दोपहर करीब 2 बजे कुम्हार भट्टी, पालदा क्षेत्र में कार्रवाई की गई. पुलिस टीम ने मौके से रामलाल प्रजापत निवासी कुम्हार भट्टी पालदा को पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक किलोग्राम गीली भांग बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब एक हजार रुपये बताई गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मादक पदार्थ जब्त कर लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

E-TENDER NOTICE 2026-27

IHCL

THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED

We invite tenders for the following items/services for Taj Lakefront, Bhopal unit of Genex Hotels Pvt. Ltd. from reputed suppliers /contractors on annual contract basis for the financial year 2026-27 i.e. from 01 April 2026 to 31 March 2027.

Food & Beverage Items: Milk & Milk Products, Paneer, Groceries & Provision Items, Packaged & Whole Spices, Dry Fruits, Atta & Maida, Frozen Green Peas & Corns, Tinned & Bottled Products, Chicken, Mutton, Bread, Eggs and Poultry Products, Fresh & Frozen Prawns and Seafoods, Frozen Meat & Fish Products, Fresh Vegetables (Indian and imported), Fruits, Fresh Noodles, Fresh Kulfi & Falooda, Dry Ice, Ice Cube & Block.

Other Supplies : Catering, Cleaning, Packing and other Disposable Items (Food Grade Plastic/ Paper), Printing, Office Stationery & Computer Consumable, General Hardware Items, Sanitary & Electrical items, Plywood, Charcoal, News Papers Supplies.

Note: HACCP / ISO certified vendors would be preferred. Certification / labelling for all products & temperature for chilled and frozen items as per FSSAI standard is mandatory.

Vendors can be registered by accessing the web link below to obtain registration/E-Tender forms. E-Tender forms will be available from 13th January 2026 till 22th January' 2026 on the below-mentioned credentials. Those who aspire to apply for tender form allocation should remit online ₹1000/- (non-refundable) to obtain a tender form in each category. Online Vendor registration form dully filled along with quotation should be submitted online on or before 22th January 2026, All Tenderers proposing to apply Should HAVE ALL THE MANDATORY LICENSES TO CONDUCT BUSINESS AND SHOULD be compliant to FSSAI Act / Rules and regulations as of date and APPLICABLE FROM TIME TO TIME.

Certification & Labelling of all the products & temperatures for chilled frozen items as per FSSAI Standards is mandatory. HACCP / ISO Certified Vendor will be preferred. The window for submitting the initial rates will open till the last date 22th January' 2026

WE THE MANAGEMENT OF TAJ LAKEFRONT BHOPAL A UNIT OF GENEX HOTEL PVT. LTD. RESERVE THE RIGHT TO ACCEPT / REJECT THE TENDER. QUOTE TO BE SUBMITTED ONLINE.

NO PRINTOUT / PHYSICAL COPY WILL BE ACCEPTED.

Link for Downloading Tender Documents & participating for E-tendering Bhopal region- **https://etendering.tajhotels.com/bhopal**

Last date of Submission of Tender Form is 22.01.2026
For further details, please contact:
Purchase Department at +91 755 437 0040, +91 88189 05500

Link Road No. 3, Prempura, Bhadbhada Chouraha, Bhopal - 462003, India.

- बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ वीडियो पर तत्काल बातचीत के माध्यम से बैंक खाता खोलें या केवाईसी अपडेट करें।
- वीडियो केवाईसी के माध्यम से बैंक ग्राहक की पहचान का सत्यापन करता है।
- आवश्यक दस्तावेज़: सीकेवाईसी पहचान संख्या **या** आधार **या** डिजिलॉकर में उपलब्ध पहचान दस्तावेज़ और पैन।
- वीडियो केवाईसी की सुविधा बैंक के निर्धारित समय के अनुसार उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए,
https://rbikehtahai.rbi.org.in/VKYC पर जाएँ
आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर:
99990 41935/99309 91935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in